फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्रीमती नोजीबाई   **विपक्षी :– लोगर**

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि.   **पत्रावली संख्या : 106/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 19.01.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जाता हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयां द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं की।

प्रार्थीयां द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्रीमती नोजीबाई, पीडब्ल्यू 2 श्री नारूलाल के पेश किये। शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। विपक्षी सं. 2 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीयां की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीया की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। प्रार्थीयां की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: <u>आदेश</u> :–

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेडीघासा पटवार हल्का धोलीमगरी की आराजी नम्बर 373 किता 1 रकबा 0.6961 हेक्टेयर भूमि के उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीयां अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:[illegible]
Reason: SelfAttested

([illegible]कान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
([illegible]SDO) मावली